



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट थाना नजीबाबाद

दिनांक 20.09.2026

**थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0स0-469/2026 धारा 109(1)/351(2) बीएनएस की
वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.09.2026 को वादी दिनेश कुमार पुत्र मुनेश कुमार निवासी साई धाम कॉलोनी, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर द्वारा थाना उपस्थित होकर तहरीर दी गई कि दिनांक 18.09.2026 को उनकी परिचित बबली चौहान पत्नी टिल्लू चौहान निवासी धनौरा, उनकी पत्नी लक्ष्मी से मिलने उनके घर आई थी। शाम करीब 06:00 बजे बबली चौहान द्वारा धारदार हथियार (बर्फ काटने वाला सूजा) से लक्ष्मी पर जान से मारने की नीयत से गर्दन व शरीर के अन्य स्थानों पर कई वार किए गए, जिससे वह घायल हो गई। लक्ष्मी जान बचाकर घर से बाहर भागी, जिसका बबली द्वारा पीछा करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।



उक्त प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 469/2026 धारा 109(1)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही:-

आज दिनांक 20.09.2026 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता बबली चौहान पत्नी स्व0 यशवीर सिंह उर्फ टिल्लू चौहान निवासी जाफ्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर हाल निवासी गोपाल पार्क नियर बंसल डेयरी गोपाल मंदिर मकान नं0 181 थाना कृष्णानगर शहादरा दिल्ली को गिरफ्तार किया तथा अभियुक्ता की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त एक सूजा बरामद किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

बबली चौहान पत्नी स्व0 यशवीर सिंह उर्फ टिल्लू चौहान निवासी जाफ्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर हाल निवासी गोपाल पार्क नियर बंसल डेयरी गोपाल मंदिर मकान नं0 181 थाना कृष्णानगर शहादरा दिल्ली ।

बरामदगी का विवरण-

घटना मे प्रयुक्त एक सूजा

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण -

- 1.उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 416 प्रदीप कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
- 3.म0का0 356 अनीता थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट -- थाना धामपुर

दिनांक 20.09.2026

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 374/2026 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 से संबंधित 02 अभियुक्तों को चोरी की मो0सा0 के साथ गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.09.2026 को वादी मौ0 कामरान पुत्र श्री इस्तखार अली निवासी मो0 सादात नींदडू थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना धामपुर पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मो0सा0 मौ0 सादात नींदडू से जिसका न0 UP20BC4409 चोरी कर ली गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0स0 374/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग मे 1. समीर पुत्र शेर आलम निवासी झण्डा चौक ग्राम जैतरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2. गिल मान पुत्र इख्तेदार निवासी मौ0 फरजाना अलीपुर भिक्कन थाना धामपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया ।



कार्यवाही -

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग मे 1. समीर पुत्र शेर आलम निवासी झण्डा चौक ग्राम जैतरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2. गिल मान पुत्र इख्तेदार निवासी मौ0 फरजाना अलीपुर भिक्कन थाना धामपुर जनपद बिजनौर को एक मोटर साइकिल एचएफ डीलक्स नं0 UP20BC4409 सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 374/2026 मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. समीर पुत्र शेर आलम निवासी झण्डा चौक ग्राम जैतरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. गिल मान पुत्र इख्तेदार निवासी मौ0 फरजाना अलीपुर भिक्कन थाना धामपुर जनपद बिजनौर

माल बरामदगी का विवरण

एक मोटर साइकिल हीरो एचएफ डीलक्स नं0 UP20BC4409

अभियुक्त समीर व गिल मान का अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 374/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना धामपुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0निवासी श्री बृजकिशोर शर्मा थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. का0 1407 लोकेश थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3. का0 1029 चिटू थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4. रि0 का0 3001 मोहित थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना अफजलगढ़

दिनांक 19.09.2026

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने अभियुक्ता को अवैध 01 प्लास्टिक कैन में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त कार्यवाही विवरण-

थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्ता हरकली पत्नी पीतम सिंह निवासी आलमपुर गावडी थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर उम्र 56 वर्ष को 01 प्लास्टिक जरी कैन में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 219/2026 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम अभियुक्ता हरकली उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

हरकली पत्नी पीतम सिंह निवासी आलमपुर गांवडी थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण

01 प्लास्टिक जरी कैन में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. म0उ0नि0 रीनू पँवार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।
2. म0का0 781 वर्षा थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।
3. का0 254 विजय थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- यातायात पुलिस

दिनांक 20.09.2026

दिनांक 20.09.2026 को रिकशा चालक यूनियन की बैठक आयोजित कर यातायात नियमों एवं नवीन रूट निर्धारण के संबंध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

आज दिनांक 20.09.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत जनपद बिजनौर में रिकशा चालक यूनियन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी यातायात, जनपद बिजनौर द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक के दौरान उपस्थित समस्त ई-रिकशा चालकों को 01 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले नवीन रूट निर्धारण (Route Division) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नगर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने हेतु यातायात नियमों, नैतिक दायित्वों तथा उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन के लिए निम्नलिखित मुख्य दिशा-निर्देश जारी किए गए:

मुख्य दिशा-निर्देश एवं बिंदु:

1. **नाबालिग चालकों पर पूर्ण प्रतिबंध:** किसी भी स्थिति में नाबालिग व्यक्तियों द्वारा ई-रिकशा का संचालन नहीं किया जाएगा।
2. **पंजीकरण व वाहन स्थिति:** अनरजिस्टर्ड (अवैध) अथवा जर्जर व खराब स्थिति वाले ई-रिकशा का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
3. **हाईवे पर संचालन निषेध:** मुख्य राजमार्गों (Highways) पर ई-रिकशा संचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी।
4. **रूट का कड़ाई से पालन:** चालकों को केवल उनके निर्धारित रूटों पर ही संचालन करना होगा, रूट बदलकर गाड़ी चलाना मना है।
5. **ड्राइवर सीट पर अकेले बैठना:** ड्राइवर की सीट पर चालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को बैठाना सख्त वर्जित है।
6. **क्षमता से अधिक सवारी नहीं:** ई-रिकशा में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ नहीं बैठाई जाएंगी।
7. **अतिरिक्त सीट पर रोक:** ई-रिकशा में अतिरिक्त (मॉडिफाइड) सीट लगाने पर प्रतिबंध है; यदि लगी हो तो उसे तत्काल हटवाया जाए।
8. **सड़क/चौराहे पर रुकावट न डालना:** सड़क के बीचों-बीच या चौराहे पर वाहन रोककर सवारी चढ़ाना/उतारना मना है। वाहन को सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर ही खड़ा किया जाए।
9. **असुरक्षित माल धुलाई पर प्रतिबंध:** ई-रिकशा में सरिया, पाइप या अत्यधिक लंबा/बाहर निकला हुआ सामान लादकर संचालन नहीं किया जाएगा।
10. **नशे में वाहन चलाने पर पूर्ण रोक:** किसी भी प्रकार के नशे की हालत में वाहन चलाना सख्त मना है।

अनिवार्य पुलिस सत्यापन: सभी ई-रिकशा चालकों को अनिवार्य रूप से अपना पुलिस सत्यापन (Police Verification) कराना होगा।

पुलिस-प्रशासन की अपील:

यातायात पुलिस बिजनौर द्वारा समस्त रिकशा चालकों से अपील की गई है कि वे 01 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले नवीन रूट व्यवस्था एवं यातायात नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करें तथा नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारु एवं सुरक्षित बनाने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें।





जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना चांदपुर

दिनांक 20.09.2026

**थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 570/26 धारा 191(2)/190/121(1)/132/127(2)/115(2)/109(1)
BNS 7 सीएल एक्ट से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।**

संक्षिप्त कार्यवाही -

दिनांक 18.09.2026 को आवेदक श्री सुदीप कुमार शर्मा, अवर अभियन्ता, निवासी ग्राम पिपली थाना पिपली जनपद सोनभद्र, हाल निवासी 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र बागडपुर द्वारा थाना चांदपुर पर प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रार्थना पत्र में अभियुक्त संजीव पुत्र नामालूम निवासी नामालूम द्वारा अन्य अभियुक्तगण सुधांशु, अंकित, मोहित, नवनीत (ग्राम प्रधान), संजीव का पुत्र नामालूम तथा करीब 20-30 अज्ञात व्यक्तियों को बुलाकर वादी एवं उसकी टीम के साथ गाली गलौच करत हुए मारपीट करने तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा



धमकी देने का आरोप लगाया गया । साथ ही अभियुक्त अंकित द्वारा पूर्व में भी फोन पर धमकी देने का उल्लेख किया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 570/2026 धारा 191(2)/190/121(1)/132/127(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त मयंक पुत्र संजीव निवासी ग्राम बागडपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण में शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं ।

अभियुक्त का विवरण -

मयंक पुत्र संजीव निवासी ग्राम बागडपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 570/2026 धारा 191(2)/190/121(1)/132/127(2)/351(2) बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली थाना चांदपुर पुलिस टीम

1. उ0नि0 बबलू सिंह
2. हे0कां0 385 राजीव
3. का0 2962 अभिनव नैन



**जनपद बिजनौर
प्रेस नोट थाना चांदपुर**

दिनांक 20.09.2026

**थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 567/2026 धारा 305(A) /155(2)/352/351(2)/61(2)/317(2) से
सम्बंधित अभियुक्त को चोरी किये गये फोन सहित गिरफ्तार किया गया ।**

सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.09.2026 को थाना चांदपुर पर अभियुक्तगण 1- अमन चन्द्रा पुत्र वीरेन्द्र चन्द्रा, 2- अरविन्द कुमार चन्द्रा, 3- रेनू चन्द्रा पत्नी नामालूम तथा 4- अमन चन्द्रा का भाई नामालूम के विरुद्ध मोबाइल फोन Samsung M-11 चोरी कर ले जाने, चोरी में सहयोग करने, गाली-गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मु0अ0सं0 567/2026 धारा 305(A)/155(2)/352/351(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 20.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त **अमन चन्द्रा पुत्र वीरेन्द्र चन्द्रा निवासी मौ0 पतियापाड़ा, थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर** को चोरी किये गये मोबाइल फोन Samsung M-11 सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा **317(2) बीएनएस** की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

नाम पता अभियुक्तगण –

1. अमन चन्द्रा पुत्र वीरेन्द्र चन्द्रा नि0 मौ0 पतियापाड़ा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर,

अभि0 कौशिक का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 567/2026 धारा 305(A)/317(2)/155(2)/352/351(2)/61(2) बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली चांदपुर पुलिस टीम –

1. म0उ0नि0 सुश्री जया
2. का0 2290 सागर बैसला
3. कां0 386 सोहित
4. कां0 2061 संदीप चौधरी



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात

दिनांक – 20.09.2026

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0स0 220/26 धारा 69, 351(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही –

दिनांक 18.09.2026 को वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर अभियुक्त अरबाज पुत्र शहादत अली उर्फ सुक्खा निवासी मौहल्ला साहबराय, कस्बा व थाना जानसठ, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर गलत कार्य करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 220/2026 धारा 69/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त अरबाज उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. अरबाज पुत्र शहादत अली उर्फ सुक्खा नि0
मौहल्ला साहबराय कस्बा व थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. अपराध निरीक्षक श्री उदयवीर सिंह थाना नगीना देहात बिजनौर ।
2. है0का0 742 ब्रजेश कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर ।
3. रि0का0 3138 विक्रान्त कुमार
4. रि0म0का0 467 नेहा तोमर थाना नगीना देहात बिजनौर ।